Border dispute with China

255. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any fresh talks are proposed to be held with China to resolve Sino-Indian border dispute; and

(b) if so, what are the details of the. proposal?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) aad *(b)* India-China *Joint* Working Group (JWG) has been dealing with the task of negotiating a settlement of the boundary question. The JWG has held one meeting in Beijing in July 1989and the next meeting is to be held at a mutually agreed time, convenient to both Governments. Tho JWG discussions cover matters relating to the maintenance of peace and tranquility in the border areas, and the need to reach a fair and reasonable settlement of the boundary question.

दिल्ली परिवहन निगम के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल किया जाना

256. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या **जल-भूतल** परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन कर्मचारियों को, जिन्हें 1988 में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की हुई हड़ताल के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था, अभी तक सेवा में वापिस नहीं लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समय कुल कितने कर्मचारी बर्खास्त किये गये थे ;

(ग) बर्खास्त किये गये कर्मचारियों में से उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक बहाल किया जा चुका है ; और

(घ) शेष कर्मचारियों को कब तक सेवा में बहाल कर लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री के. पी. उन्नीकृष्णन) : (क) से (ग) मार्च, 1988 में दि.प.नि. द्वारा कुल 3125 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गयी थी। बहुत से कर्मचारियों द्वारा उन्हें सेवा में वापिस लेने का अनुरोध करने पर विचार करने के बाद दि.प.नि. इन कर्मचारियों की सेवायें बहाल कर रहा है। इस संबंध में 21-12-1989 तक की स्थिति इस प्रकार है:-

(i) प्राप्त याचिकाओं/अभ्यावेदनों की संख्या	2666
(ii) दि.प.नि. द्वारा नौकरी के लिये भेजे गये प्रस्ताव पत्रों की संख्या	2645
(iii) प्राप्त स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	2554
(iv) पुनः नियुक्त किये गये कर्मचारियों की संख्या	2452

अभ्यावेदनों पर विचार करने, नियुक्ति प्रस्ताव भेजने आदि की प्रक्रिया जारी है।

(घ) बहुत से कर्मचारियों द्वारा उन्हें वापिस लेने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है तथा कुछ और लंबित मामलों पर कार्रवाई की जा रही है और उनके शीघ्रातिशीघ्र तय होने की आशा है।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन के दौरान गिरफ्तारियां और हत्यायें

257. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गत 2 वर्षों से राष्ट्रपति शासन लागू है ;